

अब बनेगा यूपी स्टार्टअप मिशन, इन्क्यूबेटर्स की सुविधाएं बढ़ेंगी

मुख्य सचिव की अगुआई में होगा गठन, स्टार्टअप से जुड़ी सभी गतिविधियों का नोडल बनेगा

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** योगी सरकार प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' का गठन करेगी। यह मिशन राज्य में स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी विकास और मॉनिटरिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप पॉलिसी की समीक्षा के दौरान मिशन के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है।

प्रदेश में स्टार्टअप से जुड़े मुद्दों के लिए अभी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोत्साहन एजेंसी है। अब सरकार की तैयारी स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड नोडल एजेंसी के रूप में स्टार्टअप मिशन गठित करने पर है। सूत्रों के अनुसार जो इसका प्रस्तावित स्वरूप तैयार किया गया है उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी बनाने का प्रस्ताव है।

सोसाइटी के तौर पर गठन : अपर मुख्य सचिव आईटी की अगुआई में एक्जिक्यूटिव कमिटी गठित होगी, जबकि, रोज़मर्रा के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सीईओ नियुक्त किया जाएगा। मिशन को एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रदेश में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्टार्टअप गतिविधियों का संगठित विकास सुनिश्चित करना और सब्सिडी सहित अन्य आर्थिक सहयोग का पारदर्शिता से आवंटन व वितरण होगा। आउटरीच, स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी और क्षमता निर्माण पर भी फोकस रहेगा।



नए क्षेत्रों पर फोकस

नई पॉलिसी में CoE के फोकस क्षेत्रों को भी स्पष्ट किया गया है, जिसमें AI/ML, क्वांटम तकनीक, रोबोटिक्स, स्पेस-टेक, एग्री-टेक और हेल्थ-टेक जैसे उभरते सेक्टर शामिल हैं। पुरानी पॉलिसी में ऐसे फोकस क्षेत्रों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। सरकार का

मानना है कि स्टार्टअप मिशन के गठन और इन्क्यूबेशन तथा CoE के लिए बढ़ाए गए प्रोत्साहनों के जरिए प्रदेश में इनोवेशन को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में ठोस आधार तैयार होगा।

क्यों अहम है बदलाव?

नई पॉलिसी के तहत किए गए बदलावों का सीधा प्रभाव स्टार्टअप्स पर पड़ेगा। इन्क्यूबेटर और CoE को बढ़े हुए अनुदान से स्टार्टअप्स

को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप और तकनीकी सहयोग मिलेगा। फंडिंग से जुड़े प्रोत्साहनों

के कारण शुरूआती चरण में वित्तीय दबाव कम होगा और स्केल-अप की गति बढ़ेगी। सेक्टर आधारित CoE के विस्तार से उभरती तकनीकों में काम कर रहे स्टार्टअप्स को विशेष सहयोग मिलेगा। इससे स्टार्टअप्स के लिए संसाधन, निवेश और बाजार तक पहुंच आसान होगी

NBT Lens
खबरों के
अंदर की बात

सेंटर ऑफ एक्सिलेंस तीन गुना होंगे

मिशन के गठन के साथ ही विभाग नई स्टार्टअप पॉलिसी में भी अहम बदलाव कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, इन्क्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के लिए प्रोत्साहनों का दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले पूंजीगत अनुदान की सीमा 1 करोड़ तक थी, जिसे

बढ़ाकर अब 1.25 करोड़ करने का प्रस्ताव है। वही, इन्क्यूबेटर्स के संचालन अनुदान में भी 25% बढ़ोतरी हो सकती है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन्क्यूबेटर्स को सहायता के तौर पर 30 रुपये सालाना दिए जाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में अभी

7 सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (CoE) हैं, जिसे बढ़ाकर 20 करने की योजना है। प्रत्येक CoE को अधिकतम 10 करोड़ तक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे राज्य में सेक्टर आधारित इनोवेशन हब विकसित किए जा सकें।